संख्याः 1582/XVII(4)/2012/68/05

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 15 जून 2012

विषयः जनपद बागेश्वर, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग में जिला स्तरीय आई0सी0डी0एस0 कार्यालयों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 14–4/2006–सी0डी0–1 दिनांक 7–12–2011 द्वारा जनपद बागेश्वर चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग हेतु स्वीकृत आई0सी0डी0एस0 कार्यालय एवं इसके संचालन हेतु स्वीकृत स्टॉफ के अनुक्रम में आपके पत्र संख्या 2374/आई0सी0डी0एस0/प0क0नि0–800–11/2011–12 दिनांक 12–1–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर, चम्पावत एवं रूद्रप्रयाग के लिये जिला कार्यक्रम कार्यालयों की स्थापना एवं इनके संचालन हेतु संलग्न विवरणानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी (वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड पे 5400) के 03 पद, अन्वेषक कम संगणक के 03 पद आउटसोर्सिंग से, मुख्य सहायक (वेतनमान रू0 5200–20200, ग्रेड पे 2800) के 03 पद, प्रवर सहायक (वेतनमान रू0 5200–20200, ग्रेड पे 2400) के 03 पद, कनिष्ठ सहायक के 03 पद आउटसोर्सिंग से तथा अनुसेवक के आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले 03 पद अर्थात कुल 18 पदों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28–2–2013 तक की अवधि के लिये बशर्ते की उक्त पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त पद के धारकों (आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों के अलावा) को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित आदेशो के अनुसार अनुमन्य किये गये महंगाई एवं अन्य आदि भत्ते भी देय होंगे।

3– उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माना जायेगा।

4– पदों के सृजन पर आने वाले व्ययभार का 90 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान से वहन किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15 के मुख्य लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02 समाज कल्याण–0102 बाल कल्याण–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0104 समन्वित बाल विकास सेवा के लिये जिला स्तरीय स्टॉफ की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0सहा0) की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या 330 /XXVII(7)/2012, दिनांक 8–6–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्याः 1582(1)/XVII(4)/2012/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (भारत सरकार), नई दिल्ली।
3. अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को उनके पत्र संख्या 14–4/2006–सी0डी0–1 दिनांक 7–12–2011 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (वे0आ0स0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या / XVII(4)/2011/68/05 दिनांक जून, 2012 का संलग्नक

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पदो की संख्या			योग
			बागेश्वर	चम्पावत	रूद्रप्रयाग	
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	15600– 39100 ग्रेड पे 5400	01	01	01	03
2	अन्वेषक कम संगणक	आउटसोर्सिग से	01	01	01	03
3	मुख्य सहायक	5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	01	01	01	03
4	प्रवर सहायक	5200–20200 ग्रेड पे 2400	01	01	01	03
5	कनिष्ठ सहायक	आउटसोर्सिग से	01	01	01	03
6	अनुसेवक	आउटसोर्सिग से	01	01	01	03
	योग		06	06	06	18

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव